न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः— 185/2009 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2009/00058), पीठासीन अधिकारीः— श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. जयनारायण पुत्र भम्बू——मृतक

1/1. चन्द्रपाल
1/2. नबाव सिंह } पुत्रगण जयनारायण

2. हरनारायण
3. जीतराम } पुत्रगण भम्बू
4. राम सिंह

जातियान फौजदार नि0 ग्राम सहारई तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

—प्रति0

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 24.01.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 487/0.16, 489/0.21, वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग में स्थित है। नवीन आराजी खसरा नम्बरान 487/0.16, 489/0.21, मुत0 को हाल बन्दोवस्त में साविक खसरा नम्बर 500/2—8 वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग के बदले में बनाया गया है। साविक आराजी खसरा नम्बर 500/2—8 को वसमूल दीगर नम्बरान वादीगण ने दिनांक 22.06.70 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा लेखराज,रामजीलाल,ननुआ पिस0 खुशी कॉम फौजदार नि0 ग्राम सिनसिनी तहसील डीग से क्रय किया था और तभी से वादीगण उक्त आराजी मुत0 पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा इस वक्त मौके पर भी है। उक्त बयनामा दिनांक 22.06.70 के आधार पर वादीगण के पक्ष में दाखिल खारिज भी तस्दीक हो गया था। विवादित नम्बरान को बन्दोवस्त हाल में साविक नम्बर 500/2—8 वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग के बदले में बनाया गया है जिन पर मुत0 साविक वादीगण का बतौर खातेदार काश्तकार बाहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी है और बन्दोवस्त हाल में वादीगण को सालिम विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकित करना चाहिए था,लेकिन गलत तरीके पर साविक रिकार्ड बन्दोवस्त हाल में दौराने बन्दोवस्त विवादित नम्बरान के केवल 1/2 हिस्से का ही वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया है और 1/2 हिस्से का गैर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण को दर्ज कर दिया है। जबकि बन्दोवस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और बन्दोवस्त विभाग ने वादीगण को विवादित नम्बरान के 1/2 हिस्से का गलत तरीके पर गैर खातेदार दर्ज किया है जिसे वादीगण सही व दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है और वादीगण अपने आपको सालिम विवादित नम्बरान का खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बरावर दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता का नाम भम्बू है और विक्री पत्र दिनांक 22.06.70 में भी वादीगण के पिता का नाम भम्बू अंकित है तथा साबिक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी वादीगण के पिता का नाम भम्बू अंकित है। लेकिन कतई गलत तरीके पर खिलाफ कानून व खिलाफ साबिक रिकार्ड वादीगण के पिता का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में भम्बू के स्थान पर झब्बू अंकित कर दिया है जो काबिले दुरूस्ती है और वादीगण अपने पिता का नाम सही प्रकार से झब्बू के स्थान पर भम्बू दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार डीग को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिनके विरूद्व दायरी दावा से पूर्व हस्व दफा 80 जा.दी. नोटिस मियादी दो माह दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन अर्जेट नेचर का है इसलिए हस्व दफा 80(2) न्यायालय से इजाजत ली जाकर बिना नोटिस दिये दावी हाजा पेश किया गया। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 487/0.16, 489/0.21 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग के वाहिस्सा बराबर पर वादीगण खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड मे जो विवादित नम्बरान के हि0 1/2 का गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है वह गलत है तथा वादीगण के पिता का नाम सही व दुरूस्त किया जाकर झब्बू के स्थांन पर भम्बू राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.09.2010 को वादीगण ने जमाबन्दी सम्बत 2029–2034 तथा जबाव सरकार पेश किया गया,नकल वकील वादी गो दिलाई गई।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित भूमि पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया विवादित का बयनामा तारीखी 22.06.70 रिकार्ड से विपरीत है?
3. दादरसी?

साक्ष्यवादी में दिनांक 09.05.2012 को गवाह जयनारायण के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 24.08.2015 को वादी वकील द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 20.06.2017 को संशोधित शीर्षक कायम किया गया। दिनांक 26.12.2017 को वकील वादी ने शेष साक्ष्य वादी बन्द किया जाना जाहिर किया गया। जिस पर शेष साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण को वास्ते बहस हेतु रखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। दिनांक 04.12.2024 को वकील वादी ने बहस में कथन किया कि मेरा साविक खसरा नम्बर 500 रकबा 2 वीघा 8 विस्वा का है इससे दो खसरा नम्बर भू–प्रबंध विभाग ने बनाये है। खसरा नम्बर 487 रकबा 0.16 व 489 रकबा 0.21,ये आराजी हमने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1970 को खरीदी है। लेखराज,रामजीलाल,ननुआ पुत्रगण खुशीराम से खरीदी है। इसका हमारा राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो चुका है। जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2032 में नामा0 संख्या 1530 दिनांक 28.04.1973 के द्वारा। लेकिन हमें नये खसरा नम्बर में 1/2 हिस्से का खातेदार एवं 1/2 हिस्से का गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है। खातेदार हो जाने पर ही विक्रेता ने जमीन बेची थी तब हमने 1/2 हिस्से की खातेदारी के लिए दावा पेश किया है। तहसीलदार ने जबाव पेश किया है। आपको दाखिला खारिज की अपील करनी चाहिए थी। हमने रेग्यूलर सूट पेश किया है। हमको खातेदार दर्ज किया जावे कब्जा हमारा है। पैरोकार ने लिखित बहस में कथन किया कि दावा वादीगणों की ओर से धारा 88,89 आर.टी.एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य बयनामा दिनांक 22.06.70 जिस पर प्रदर्श–पी–3 दर्ज है। जिसमें आराजी साविक खसरा नम्बर का बयनामा का नामा0 संख्या 1316 से साविक खसरा नम्बर 500 रकबा 2 वीघा 8 विस्वा के 1/2 हिस्से खातेदार व 1/2 हिस्से गैर खातेदार स्वीकृत हुआ है। इसके बाद नामा0 संख्या 1530 जो खातेदारी दर्ज है। साथ ही नामा0 का अमल जिस जमाबन्दी में हुआ है उसकी नकल साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई है। नामा0 संख्या 1316 व नामा0 संख्या 1530 की अपील की जानी चाहिए थी।

हमने वादी के वादपत्र, पैरोकार सरकार के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू–1,जयनारायन प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2062 से 2065 जिसमें खसरा नम्बर 487 रकबा 0.16 खसरा नम्बर 489 रकबा 0.21 किस्म चाही –2,जाव–2,जयनारायन,हरनारायन जीतराम रामसिंह पिस0 झब्बू कॉम फौजदार सा0 देह खातेदार निस्फ हिस्सा व गैर खातेदार निस्फ हिस्सा दर्ज है। प्रदर्श–2 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 जिसमें साविक खसरा नम्बर 500 मिन रकबा 2 वीघा 8 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 487/0.16,489/0.21 बनना प्रदर्शित है। प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1970 जिसमें रामजीलाल,ननुआ पिस0 खुशी ने अन्य खसरा नम्बर के साथ साविक खसरा नम्बर 500 रकबा 2 वीघा 3विस्वा जयनारायन,हरनारायन व जीतराम पिस0 भम्बू को अपना हिस्सा विक्रय किया है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2035 जिसमें रामजीलाल,लेखराज,ननुआ पिस0 खुशीराम बराबर हिस्सा 1/4 लेखराज पुत्र खुशी 1/4 कॉम फौजदार सा. देह खातेदार जयनारायन,हरनारायन,जोतराम व रामसिंह पिस0 भम्बू कॉम फौजदार सा0 बरताई गैर खातेदार निस्फ खातेदार निस्फ दर्ज है। प्रदर्श–5 नामा0 संख्या 1316 दिनांक 13.08.70 जो दिनांक 22.06.1970 के विक्रय पत्र का नामा0 है। जिसके कॉलम नम्बर 11 में जयनारायन,हरनारायन,जोतराम व रामसिंह पिस0 भम्बू व हिस्सा बरावर सा0 देह खातेदार स्वीकार हुआ है। प्रदर्श–6 नामा0 संख्या 1530 दिनांक 28.04.73 जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत गैर खातेदारी से खातेदारी का नामा0 है। जिसके कॉलम नम्बर 11 में

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जयनारायन, हरनारायन, जोतराम, रामसिंह पिस0 भम्बू कॉम फौजदार सा0 सहारई खातेदार निस्फ व गैर खातेदार निस्फ जो 28.04.73 को स्वीकार हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

तनकी संख्याः1, आया वादीगण विवादित भूमि पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

वादीगण ने प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1970 को निष्पादित जिसमें वहक रामजीलाल,ननुआ,लेखराज पिस0 खुशी कॉम फौजदार सा0 मौजा सिनसिनी ने साविक खसरा नम्बर 530 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा, खसरा नम्बर 531 रकबा 4 वीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 2 वीघा 8 विस्वा कुल किता–3 का विक्रय 2500 रूपये में जयनारायन,हरनारायन व जीतराम पिस0 भम्बू को किया गया है। उक्त विक्रय पत्र विक्रेतागण ने अपना हिस्सा नहीं खोला है। अपने कितने हिस्से से कितने हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 1316 दिनांक 13.08.70 दर्ज किया गया है। जिसके कॉलम नम्बर 5 में दर्ज प्रबिष्टि के अनुसार लेखराज व रामजीलाल व ननुआ, जीतराम पिस0 खुशी वहिस्सा बरावर सा0 देह खातेदार,खातेदार व रामजीलाल पुत्र खुशी खातेदार निस्फ रामसरन पुत्र किशोरी व लेखराज पुत्र खुशी वाहिस्सा बरावर निस्फ गैर खातेदार दर्ज है। विक्रय पत्र निष्पादित करते समय साविक खसरा नम्बर 530, 531 में लेखराज,रामजीलाल,ननुआ व जीतराम पिस0 खुशी खातेदार दर्ज थे लेकिन साविक खसरा नम्बर 500 रकबा 2 वीघा 8 विस्वा में जोकि गत जमाबन्दी खसरा नम्बर 469 है। गैर खातेदार दर्ज है। गैर खातेदार को विक्रय पत्र निष्पादित करने का अधिकार नहीं होता है। विक्रय पत्र में शामिल करने पर भी साविक खसरा नम्बर 500 वादीगण के नाम अन्तरित नहीं हो सकता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व नामा0 संख्या 1316 से वादीगण के अधिकार सृजित नहीं होते है। नामा0 संख्या 1530 जो प्रदर्श–6 है जो दिनांक 28.04.73 को तस्दीक किया हुआ है। वादीगण को निष्फ हिस्से का खातेदार व निस्फ हिस्से का गैर खातेदार दर्ज किया गया है। जिसके आधार पर प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2035 में प्रबिष्टियां सही दर्ज की गई है। साविक खसरा नम्बर 500 के सम्बन्ध में।

वादीगण उपलब्ध साक्ष्य से दावा को सिद्व करने में असफल रहे है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया विवादित का बयनामा तारीखी 22.06.70 रिकार्ड से विपरीत है। इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रति0 पर है। प्रदर्श–5 पर नामा0 संख्या 1316 के कॉलम नम्बर 5 की पूर्व प्रबिष्टियों के आधार पर साविक खसरा नम्बर 500 में विक्रय पत्र निष्पादित करने वाले पक्षकार निस्फ हिस्से के खातेदार और निस्फ हिस्से के गैर खातेदार दर्ज है। उक्त नामा0 के कॉलम नम्बर 11 में भी गैर खातेदार की प्रबिष्टियों को दोहराया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी विक्रेता का हिस्सा नहीं खोला गया है। बयनामा तारीखी 22.06.70 रिकार्ड से विपरीत है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
डांग (डोग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्याः–3, दादरसी?

उभय पक्षकार वाद खर्च अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की गई है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण रिकार्ड से सावित नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner